# विनियामक और अन्य उपाय

**मार्च 2012**

आरबीआई /2011-12 / 420 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी). परि.सं.22 /12.05.001/2011-12, 1 मार्च 2012

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

## शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा

आप जानते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) (अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत, बैंक की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और अधिनियम के अंतर्गत जारी निर्देशों /अनुदेशों का पालन की जांच करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों का निरीक्षण करता है। साथ ही शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत आवधिक विवरणियों / विवरणों के आधार पर उनकी वित्तीय स्थिति की निगरानी करता है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर पर्यवेक्षी कार्रवाई करता है। वर्तमान पर्यवेक्षी ढांचा जैसे ग्रेडेड पर्यवेक्षी कार्रवाई बैंक की वित्तीय स्थिति और ग्रेड पर आधारित है। 31 मार्च 2009 से शहरी सहकारी बैंक के लिए ग्रेडिंग सिस्टम के स्थान पर कैमल आधारित नया रेटिंग मॉडेल लागू किए जाने के कारण, पर्यवेक्षी कार्रवाई का ढांचा फिर से बनाना होगा।

2. संशोधित पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे के अंतर्गत में वित्तीय स्थिति में ह्रास के प्रारंभिक चरण में शहरी सहकारी बैंक प्रबंधन स्वतः सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है। बैंक की वित्तीय स्थिति में कोई सुधार न होने की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई की जाएगी।

### *शहरी सहकारी बैंकों द्वारा स्व सुधारात्मक कार्रवाई*

3. यदि सीआरआर 9 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है या आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट आती हैं या लाभ में ह्रास होता है, तरलता की कमी होती है तो बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु बैंक के प्रबंधन को ह्रास के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा अपने आप आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार की कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए क्योंकि किसी भी प्रकार का विलंब बैंक के जमाकर्ताओं और हितधारकों के लिए हानिकारक हो सकता है। कमियों के स्वरूप के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई में पूंजी बढाने, एनपीए की निगरानी तथा उसकी वसूली विशेष रूप से बड़ी राशि वाले एनपीए, खर्च को कम करते हुए लाभ बढ़ाने, कम ब्याज दर पर जमाराशि एकत्रित करने आदि जैसे उपाय शामिल किए जाने चाहिए। शहरी सहकारी बैंकों को अपने कार्यकलापों में सुधार लाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए तथा निदेशक मंडल को अपनी प्रत्येक बैठक में कार्ययोजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखनी चाहिए।

### *भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई*

4. शहरी सहकारी बैंक यह ध्यान में रखें कि यदि वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय नहीं किए गए हैं या जो उपाय किए गए हैं उनके परिणामस्वरूप बैंक की वित्तीय स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है तो रिज़र्व बैंक हस्तक्षेप करेगा तथा आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षी कार्रवाई शुरू करेगा। रिज़र्व बैंक द्वारा की जानेवाली पर्यवेक्षी कार्रवाई दो चरणों में होगी।

4.1 प्रथम चरण में, रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के कार्यनिष्पादन की सक्रिय निगरानी की जाएगी। बैंक में निम्नलिखित में से एक या दो परिस्थितियां मौजूद होने पर सक्रिय निगरानी आवश्यक होगी :

i. पूंजी पर्याप्तता 6 प्रतिशत से कम हो

ii. लगातार दो वर्षो की हानि हो

iii. सकल एनपीए अग्रिम के 10 प्रतिशत से अधिक हो गया हो

iv. जमाराशि का केंद्रीकरण अर्थात जहां 20 सर्वोच्च जमाराशियां/ जमाकर्ता कुल जमाराशि के 30 प्रतिशत से अधिक हों

v. क्रेडिट जमा अनुपात 70 प्रतिशत से अधिक हो

शहरी सहकारी बैंकों को यह निदेश देकर निगरानी की जाएगी कि वे जहां ह्रास हुआ है ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन या चिंता के कारणों (सीआरएआर, लाभ, सकल एनपीए, सीडी अनुपात, जमाराशि का केंद्रीकरण जैसे भी स्थिति हो) में सुधार हेतु भारतीय

रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को कार्ययोजना प्रस्तुत करें तथा विशिष्ट कमजोर क्षेत्र के संबंध में तिमाही /छमाही अंतराल पर विवरणियां प्रस्तुत करें।

4.2 दूसरे चरण में, पर्यवेक्षी कार्रवाई पूर्व सतर्कता स्वरूप की होगी जिसका उद्देश्य बैंक की वित्तीय स्थिति में और अधिक गिरावट को रोकना होगा। पर्यवेक्षी कार्रवाई का दायरा और स्वरूप, पूंजी पर्याप्तता का स्तर तथा बैंक की जमाराशि में ह्रास, यदि कोई हो, पर निर्भर होगा। वित्तीय स्थिति में गिरावट होने पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की कठोरता बढ़ेगी तथा इसमें जमाराशियों के परिपक्वता पूर्व आहरण पर प्रतिबंध, अग्रिम/ जमाराशियों के स्तर को सीमित करना, जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध, बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी करना आदि शामिल होगा।

4.2.1 यदि शहरी सहकारी बैंक का सीआरएआर 4 प्रतिशत से कम हो जाता है लेकिन उसकी निवल संपत्ति धनात्मक बनी रहती है तो बैंक को, निर्धारित तारीख तक अग्रिमों के स्तर से अधिक उनके सकल अग्रिम को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.2.2 शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में और गिरावट होने तथा उसके परिणामस्वरूप निवल संपत्ति ऋणात्मक हो जाने की स्थिति में रिजर्व बैंक जमाराशि में गिरावट के अनुरूप आगे कार्रवाई शुरू करेगा।

(i) *10 प्रतिशत तक जमाराशि में ह्रास -* बैंक को सूचित किया जाएगा कि वे अन्य बैंक के साथ विलय की संभावना का पता लगाए। बैंक को, निर्धारित तारीख की जमाराशियों की स्थिति के स्तर से अधिक सकल जमाराशि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, सभी मीयादी जमाराशियों के अवधिपूर्व भुगतान पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।

(ii) *10 प्रतिशत से अधिक और 25 प्रतिशत तक जमाराशि में ह्रास -* पुनरुज्जीवन के सभी विकल्प समाप्त हो गए हों तो, नई जमाराशियां स्वीकार करने और उनकी चुकौती पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. तथापि जमाराशियों के नवीकरण की अनुमति दी जाएगी।

(iii) *25 प्रतिशत से अधिक जमाराशि में ह्रास -* बैंक का लाइसेंस रद्द करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की जाएगी।

5. कुछ अवसरों पर, जैसे बैंक से पैसे निकालने की होड़ लगना, अत्यधिक तरलता की कमी की जानकारी प्राप्त होना, परिपक्व जमाराशियों का भुगतान न किया जाना अथवा अधिमानित भुगतान की शिकायतें प्राप्त होना, प्रबंधन के असहमत होने के बारे में बाजार सूचना मिलना आदि, विशिष्ट परिस्थितियों में बैंक की वित्तीय स्थिति को ध्यान में न लेते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत सर्वसमावेशी निर्देश जारी किए जाएंगे।

6. शहरी सहकारी बैंकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा भारतीय रिजर्व बैंक को, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे के किसी भी चरण में जैसा आवश्यक हो, किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करने सहित कोई कार्रवाई करने से नहीं रोकता है।

7. इस परिपत्र की प्रतिलिपि निदेशक मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत करें तथा इस आशय की पुष्टि संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

___________

भारिबैं/2011-12/422 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.62/ 02.08.01/2011-12, 1 मार्च 2012

अध्यक्ष/मुख्य प्रबंध निदेशक
सभी अग्रणी बैंक

## उत्तर प्रदेश राज्य में नये जिले प्रबुद्ध नगर को अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व का सौंपा जाना

उत्तर प्रदेश सरकार की दिनांक 28 सितम्बर 2011 की अधिसूचना सं.2875/1-5-2011-155/2011-रा-5 के द्वारा 28 सितम्बर 2011 से प्रबुद्ध नगर नामक एक नये जिले का गठन किया है। नया जिला प्रबुद्ध नगर वर्तमान जिले मुजफ्फरनगर से अलग करके बनाया गया है, जिसका मुख्यालय शामली है जिसमें शामली और कैराना तहसील शामिल है।

2. इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि नये जिले प्रबुद्ध नगर का अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व पंजाब नैशनल बैंक को स्थायी रूप से सौंप दिया जाए। राज्य के अन्य जिलों के अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

3. रिर्पोटिंग प्रणाली के लिए नये जिले प्रबुद्ध नगर को जिला कार्यकारी कोड़ सं.315 आबंटित किया गया है।

___________

भारिबैं / 2011-12/424 गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं:256/ 03.10.042/2011-12, 2 मार्च 2012

## ₹100 करोड़ और अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

### *धोखाधड़ी की निगरानी*

26 अक्तूबर 2005 के गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि. सं.59/03.10.42/2005-06 के संदर्भ के तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें धोखाधडी वर्गीकरण, जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की धोखाधड़ियों के लिए निगरानी तथा रिपोर्टिंग प्रणाली के प्रति दृष्टिकोण पर दिशानिर्देश शामिल हैं।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि इस दिशानिर्देशों का विस्तार (भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 ट और 45 ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए) तत्काल प्रभाव से एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए भी किया जाए। तदनुसार सभी एनबीएफसी-एनडी-एसआई को सूचित किया जाता है कि इन दिशानिर्देशों का पालन करें जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अपेक्षित है कि ₹25 लाख से कम राशि वाले व्यक्तिगत मामलों में शामिल धोखाधडी की रिपोर्टिंग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को करें जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है तथा ₹25 लाख तथा अधिक राशि वाले व्यक्तिगत मामलों में शामिल धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग धोखाधड़ी निरोधक निगरानी कक्ष, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, विश्व व्यापार केन्द्र, सेंटर-1, कफ परेड, मुंबई-400 005 को करें।

3. तदनुसार, ₹100 करोड़ और अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, वर्ष में कंपनी को दी गई रिपोर्ट में धोखाधड़ी से संबंधित राशि का खुलासा अपने तुलनपत्र में करें। 26 अक्तूबर 2005 के कंपनी परिपत्र में किए गए उल्लेख के अनुसार, यह पुनः दोहराया जाता है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा धोखाधड़ी मामलों की रिपोर्टिंग रिज़र्व बैंक को नहीं करने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय V में निर्धारित प्रावधान के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

---

आरबीआई/2011-12/425 बैंपविवि.सं. बीएल. बीसी. 82/ 22.01.009/2011-12, 2 मार्च 2012

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) और स्थानीय क्षेत्र बैंक

## बैंकिंग सेवाओं के विस्तार द्वारा वित्तीय समावेशन-बिज़नेस कॉरस्पोंडेंट (बीसी) का उपयोग

कृपया उपर्युक्त विषय पर 28 सितंबर 2010 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीएल.बीसी 43/22.01.009/2010-11 का पैरा 3 ‘बीसी मॉडल’ देखें जिसमें यह कहा गया है कि कोई बिज़नेस कॉरस्पोंडेंट एक से अधिक बैंकों का बिज़नेस कॉरस्पोंडेंट हो सकता है, परंतु ग्राहक से संपर्क के स्थलों पर बिज़नेस कॉरस्पोंडेंट का खुदरा केंद्र या उप-एजेंट केवल एक बैंक का प्रतिनिधित्व करेगा और उसी की सेवाएँ प्रदान करेगा। इसमें यह भी कहा गया हो कि बैंक और बिज़नेस कॉरस्पोंडेंट के बीच की संविदा पर लागू शर्तें लिखित करार में स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए और उनकी कानूनी दृष्टि से पूरी जाँच होनी चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि करार तैयार करते समय बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 3 नवंबर 2006 को जारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम नियंत्रण और आचारसंहिता संबंधी दिशानिर्देश में निहित अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करनी चाहिए। इसके अलावा, बिज़नेस कॉरस्पोंडेंट और उनके खुदरा केंद्रों/उप एजेंटों के कार्यों के लिए बैंक पूरी तरह ज़िम्मेवार होंगे।

2. इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि बीसी के खुदरा केंद्रों या उप एजेंटों के स्थान पर (अर्थात ग्राहक संपर्क के स्थलों पर) अन्तर परिचालन (एक से अधिक बैंकों का परिचालन) करने की अनुमति दी जाये, बशर्ते जिस बैंक ने बीसी को नियुक्त किया है उसके पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी अन्तर परिचालन को समर्थन करती हो। यह अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः

क. बीसी के ऐसे खुदरा केंद्रों या उप एजेंटों के पास लेनदेन और पुष्टिकरण ऑनलाइन किए जाते हों;

ख. लेनदेन कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्लेटफॉर्म पर किए जाते हों; और

ग. बैंक भारतीय बैंक संघ द्वारा सूचित की जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हों। तथापि, बीसी अथवा उसका खुदरा केंद्र अथवा उप एजेंट ग्राहक संपर्क स्थल पर उसी बैंक का प्रतिनिधित्व करता रहेगा, जिसने उसे नियुक्त किया है।

3. 28 सितम्बर 2010 के मौजूदा दिशानिर्देश में वर्णित सभी शर्तें यथावश्यक परिवर्तनों सहित बीसी के खुदरा केंद्रों या उप एजेंटों द्वारा किए गये परिचालनों पर लागू होंगी।

___________

आरबीआई/2011-12/426 बैंपविवि.एलईजी.बीसी. सं.83/09.07.005/2011-12, 5 मार्च 2012

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

## बैंकों में शिकायत निवारण प्रणाली - नोडल अधिकारियों का नाम प्रदर्शित करना

कृपया 21 जुलाई 2009 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एलईजी. बीसी.24/09.07.005/2009-10 देखें; जिसमें बैंकों को निदेश दिया गया था कि वे, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने प्रधान कार्यालय/आंचलिक कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों सहित बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के अंतर्गत नियुक्त नोडल अधिकारियों/प्रधान नोडल अधिकारियों के नाम तथा अन्य ब्योरे भी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें जिनसे शिकायतों के निवारण के लिए संपर्क किया जा सके। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे अपने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी और क्रेडिट कार्ड, ऋण तथा अग्रिम, रिटेल बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग, ग्रामीण/कृषि बैंकिंग, एसएमई बैंकिंग इत्यादि जैसे परिचालनों के लाइन फंक्शनिंग प्रमुखों के नाम, पते, टेलीफोन संख्या तथा फैक्स संख्या अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित करें ताकि उनके ग्राहक आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क कर सकें।

2. शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपर्युक्त परिपत्र में उल्लिखित अनुदेशों के अतिरिक्त बैंकों को आगे निम्नानुसार सूचित किया गया है:

i. वे यह सुनिश्चित करें कि बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत नियुक्त प्रधान नोडल अधिकारी पर्याप्त रूप से वरिष्ठ स्तर का है और वह महाप्रबंधक रैंक से नीचे का नहीं है।

ii. प्रधान नोडल अधिकारी का ब्योरा जिसमें उसका नाम, पूरा पता, टेलीफोन/फैक्स संख्या, ई-मेल पता इत्यादि शामिल हैं, बैंक के पोर्टल अधिमानतः वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने की जरूरत है ताकि पीड़ित ग्राहक इस भरोसे के साथ किसी बैंक से संपर्क कर सके कि उसकी शिकायत एक वरिष्ठ स्तर पर सुनी गई है।

iii. शिकायत निवारण प्रणाली को आसान बनाया जाना चाहिए भले ही वह ग्राहक सेवा इकाई के किसी कॉल सेंटर से जुड़ी हो। ग्राहकों को पहचान, खाता विवरण आदि प्रमाणित करने की परेशानियां नहीं होनी चाहिए।

iv. संबंधित वित्तीय सेवा प्रदाता द्वारा पर्याप्त एवं व्यापक प्रचार किए जाने की भी जरूरत है।

3. प्रधान नोडल अधिकारी का नाम तथा पता मुख्य महाप्रबंधक, ग्राहक सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, पहली मंज़िल, अमर भवन, सर पी.एम.रोड, मुंबई - 400001(ई-मेल: ) को भी भेजा जाए।

___________

आरबीआई/2011/427 आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.20/14.01.02/2011-12, 5 मार्च 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी इकाईयाँ

## जमा प्रमाण-पत्रों और वाणिज्यिक पत्रों में ओटीसी लेन-देन का निपटान

30 जून 2010 के परिपत्र आंऋप्रवि.डीओडी. सं.11/08.36/2009-10 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी इकाइयों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे जमा प्रमाण-पत्रों और वाणिज्यिक पत्रों में अपने ओटीसी लेन-देन, बाजार सूचनाओं के ऑनलाइन प्रसार के लिए व्यापार के 15 मिनटों के भीतर फिम्मड़ा के रिपोर्टिंग मंच पर रिपोर्ट करें। तथापि, ऐसे व्यापार दुतरफा आधार पर काउंटरपार्टियों के बीच निपटाए जा रहे हैं।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि जमा प्रमाण-पत्रों और वाणिज्यिक पत्रों में सभी ओटीसी व्यापार के लिए सुपुर्दगी बनाम भुगतान I आधारित निपटान, कार्पोरेट बांड़ों में ओटीसी व्यापार के निपटान के मामले में पहले से मौजूद पद्धति पर अर्थात भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमि. (एनएससीसीएल) और भारतीय समाशोधन निगम लिमि. (आईसीसीएल) के एकत्रित खाते के माध्यम से प्रारंभ किया जाए।

3. तदनुसार, 1 अप्रैल 2012 से जमा प्रमाण-पत्रों और वाणिज्यिक पत्रों में सभी ओटीसी व्यापार अनिवार्य रूप से एनएससीसीएल अथवा आईसीसीएल के माध्यम से समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार उक्त व्यवस्था के अंतर्गत निपटाये जाने चाहिए।

___________

आरबीआई/2011-12/429 बैंपविवि.सं.सीआईडी.बीसी.84/20.16.042/2011-12, 5 मार्च 2012

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

## 'पंजीकरण प्रमाणपत्र' प्रदान करना - ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए - क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड

हम सूचित करते हैं कि हमने क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) को ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए दिनांक 5 मार्च 2012 को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है। कंपनी का पता निम्नानुसार है:

प्रबंध निदेशक
क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड
हेक्स्ट हाउस, छठी मंजिल
193, बैकबे रिक्लमेशन
नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021

---

आरबीआई/2011-12/431 शबैंवि.कैंका.बीपीडी सं. 25/12.05.001/2011-12, 6 मार्च 2012

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

## भारतीय लेखांकन मानकों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के समरूप करना- शहरी सहकारी बैंक

भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित कोर ग्रुप ने, मार्च 2010 में भारतीय लेखांकन मानकों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के समरूप करने के लिए एक रोड मैप अनुमोदित किया है। 20 अप्रैल, 2010 को जारी रिजर्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य 2010-2011 में यह कहा गया था कि ₹300 करोड़ से अधिक निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों का लेखा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए दी गई समय सीमा में, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के समरूप तैयार होगा। तदनुसार, 1 अप्रैल 2013 के प्रारंभिक तुलन-पत्र अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के समरूप भारतीय लेखांकन मानकों में परिवर्तित करें। ₹200 करोड़ से अधिक और ₹300 करोड़ से कम निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंक 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभिक तुलन-पत्र अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के समरूप भारतीय लेखांकन मानकों में परिवर्तित करेंगे। वर्ष 2010-11 के वार्षिक नीति वक्तव्य के संबद्ध पैराग्राफ (92 से 94) का उद्धरण संलग्न है।

2. अतः ₹200 करोड़ से अधिक निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जाता है कि वे 1 अप्रैल 2013 या 1 अप्रैल 2014 से जैसी भी स्थिति हो, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के समरूप भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

3. कृपया इस विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें।

अनु : एक

### अनुबंध

**भारतीय रिज़र्व बैंक - वार्षिक नीति वक्तव्य 2010-11 भारतीय लेखांकन मानकों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के समरूप बनाना**

पैरा 92. भारतीय लेखांकन मानकों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के समरूप बनाने को सुनिश्चित किए जाने के प्रयासों के एक भाग के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा रिज़र्व बैंक के परामर्श से बैंकिंग कम्पनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए एक भावी योजना को अंतिम रूप दिया गया है। इस भावी योजना के अनुसार, सभी अनुसूचित वणिज्य बैंक 01 अप्रैल 2013 की स्थिति के अनुसार अपने प्रारंभिक तुलन-पत्र को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप संपरिवर्तित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार परिवर्तित करेंगे।

पैरा 93. तथापि, शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में क्रमिक रूप से आगे बढ़ने के नजरिये को सही माना गया है। ₹300 करोड़ से अधिक निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों और एनएसई-निफ्टी 50 और बीएसई-सेन्सेक्स 30 के हिस्से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जिनकी निवल मालियत ₹1,000 करोड़ से अधिक है, को अनुसूचित वणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित समय सीमा में ही अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ समरूप होने की योजना तैयार की गयी है। ₹200 करोड़ से अधिक और ₹300 करोड़ से कम निवल मालियत वाली और ₹500 करोड़ से अधिक

**अनुबंध** *(समाप्त)*

निवल मलियत वाली अन्य सूचीबद्ध गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ-साथ गैर-सूचीबद्ध गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 1 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार अपने प्रारंभिक शेष तुलन-पत्र को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप भारतीय लेखांकन मानकों में परिवर्तित करना होगा। इन श्रेणियों में न आने वाले शहरी सहकारी बैंकों और गैर-सूचीबद्ध गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए केवल ऐसे अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करना होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के समरूप नहीं हैं।

पैरा 94. समरूप करने की प्रक्रिया में लगने वाले कार्य की मात्रा को देखते हुए, बैंकों और अन्य संस्थाओं से यह आशा है कि वे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों की जटिलताओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अपने कौशल, प्रबंधन सूचना प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को लागू करने में अतिरिक्त चुनौतियां सामने आयेंगी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के कुछ पहलू विशेषकर, वित्तीय लिखतों के मानक समीक्षाधीन हैं और इसे अंतिम रूप देने में और वक्त लगेगा। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को सहजता से अपनाने के लिए यह प्रस्ताव है कि:

- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को अपनाने की प्रक्रिया की जटिलताओं का अध्ययन किया जाए और उचित परिचालनगत दिशानिर्देश भी जारी किए जाएं।
- बैंकों और अन्य संस्थाओं को इस योजना का पालन करने के लिए तैयार करने की दृष्टि से शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाए।

---

आरबीआई/2011-12/432 शबैंवि. बीपीडी.(पीसीबी). परि.सं.26/ 16.11.00/2011-12, 7 मार्च 2012

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

## बैंक दर

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 49 के अनुसार रिज़र्व बैंक को उस मानक दर की समय-समय पर सार्वजनिक जानकारी देनी होती है जिस दर पर वह विनिमय बिलों या इस अधिनियम के तहत खरीदे जाने योग्य अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या फिर से भुनाने (रि-डिस्काउंट) को तैयार है।

2. डिस्काउंट दर होने के कारण, बैंक दर को तकनीकी रूप से पॉलिसी रिपो दर से अधिक होना चाहिए। तथापि, अप्रैल 2003 से बैंक दर 6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा है। इसका मुख्य कारण यह था कि मौद्रिक नीति संबंधी संकेत देने का कार्य चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत (3 मई 2011 तक) रिवर्स दर व रिपो दर में उतार- चढ़ाव और मौद्रिक नीति की संशोधित कार्य पद्धति के तहत (3 मई 2011 के बाद से) पॉलिसी रिपो दर के माध्यम से किया जा रहा था। इसके अलावा, संशोधित कार्य पद्धति के अंतर्गत पॉलिसी रिपो दर के 100 आधार अंक ऊपर रखी गई सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) भी काम कर रही है जिससे कई मायनों में बैंक दर का उद्देश्य पूरा हो जाता है।

3. एक ओर जहाँ, पॉलिसी रिपो दर और एमएसएफ़ को लागू कर दिया गया है, वहीं बैंक दर 6 प्रतिशत पर बनी हुई है। वर्तमान में बैंक दर, आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताओं (आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) को पूरा करने में आई कमी के चलते दंड के रूप में बैंकों पर लगाए जाने वाले दर का काम करती है। कई दूसरे संगठनों में बैंक दर का प्रयोग सूचीकरण (इन्डेक्शेसन) के कार्यों के लिए संदर्भ दर (रेफ़रेंस दर) के रूप में किया जाता है।

4. रिजर्व बैंक ने बैंक दर से संदर्भ दर (रेफ़रेंस दर) का काम लेने वाले विभिन्न संगठनों/हितधारकों से चर्चा की है। प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह तय किया गया है कि बैंक दर को सामान्यतः एमएसएफ दर के अनुरूप रखा जाना चाहिए। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि आज (13 फरवरी 2012 को) कारोबार की समाप्ति से बैंक दर को 350 आधार अंक बढ़ा दिया जाए अर्थात् 6.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष से 9.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया जाए। इसे बैंक दर को एमएसएफ के अनुरूप करने हेतु एकबारगी किए गए तकनीकी समायोजन (एडजस्टमेंट) के रूप में देखा जाए न कि मौद्रिक नीति के रुख़ में परिवर्तन के रूप में।

5. आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आई कमी के चलते दंड के रूप में बैंकों पर लगाई जाने वाली निर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई सभी दंडात्मक ब्याज दरें भी बदल गई हैं जैसा कि संलग्नक में दर्शाया गया है।

6. कृपया शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें ।

अनु : यथोक्त

| संलग्नक | | |
|---|---|---|
| **बैंक रेट से जुड़ी हुई दंडात्मक ब्याज दरें** | | |
| **मद** | **वर्तमान दर** | **नई दर** (13 फरवरी 2012 को कारोबार की समाप्ति से लागू) |
| आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आई कमी के चलते लगाई जाने वाली दंडात्मक ब्याज दरें (कमी की अवधि के आधार पर) | बैंक दर में 3.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (9.00 प्रतिशत) या बैंक दर में 5.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (11.00 प्रतिशत) | बैंक दर में 3.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (12.50 प्रतिशत) या बैंक दर में 5.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (14.50 प्रतिशत) |

---

भारिबैं/2011-12/446 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:259 /03.02.59/ 2011-12, 15 मार्च 2012

सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
(अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर)

## बैंक के पास रखी मीयादी जमाराशियों की वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में गणना न करना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 झ क(1) के तहत, कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, (क) भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र (ख) पच्चीस लाख रुपये की निवल स्वाधिकृत निधि, जिसे 21 अप्रैल 1999 से बढाकर ₹200 लाख कर दिया गया है, के बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है या जारी नहीं रख सकती है।

2. तथापि, रिज़र्व बैंक के ध्यान में आया है कि कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने बाद कई वर्षों तक गैर-बैंकिंग वित्तीय कार्यकलाप नहीं करती हैं तथा अपनी निधियों को वाणिज्यिक बैंकों में मीयादी जमा के रूप में रखती हैं। इन मामलों में कंपनियों के लेखा परीक्षकों ने भी प्रमाणित किया है कि कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का कार्यकलाप इस आधार पर कर रही हीं कि वे बैंक द्वारा जारी प्रमाणपत्र की नियमित धारक है।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कार्यकलाप करने के विशेष उद्देश्य से पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करता है। मीयादी जमा में निवेश को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता तथा बैंक के पास रखे गए मीयादी जमा से प्राप्त होने वाली ब्याज आय को वित्तीय परिसंपत्ति से प्राप्त आय नहीं माना जा सकता जैसा कि इन कार्यकलापों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45झ(ग) में "वित्तीय संस्थान" की परिभाषा के तहत शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कार्यकलाप प्रारंभ करने तक, उक्त मामलों में तथा/ या बैंक के पास जमा रखे नियर मनी का उपयोग केवल निष्क्रिय निधि की अस्थायी पार्किंग के लिए किया जा सकता है।

4. इसके अतिरिक्त , बैंक से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के छः माह के भीतर, आवश्यक रूप से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार प्रारंभ करे। यदि कंपनी द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख से छः माह के भीतर नहीं किया जाता, तब पंजीकरण प्रमाण-पत्र स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। तदुपरांत, पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नियमन तथा कारोबार प्रारंभ करने के पूर्व गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने स्वामित्व में परिवर्तन नहीं कर सकती।

---

आरबीआई/2011-12/448 भुनिप्रवि (केंका) सीएचडी. सं.1691/03.01.14/2011-2012, 15 मार्च 2012

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
अनुसूचित सहकारी बैंक/
एनईएफटी और आरटीजीएस में भागीदार बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय

## भुगतान प्रणालियों के लिए एक्सेस मानदंड- विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणालियां संचालित करने वाले समाशोधन गृहों की सदस्यता

कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे 21 सितंबर 2011 के परिपत्र सं. भुनिप्रवि.केंका.ओडी. 494/ 04.04.009/2011-2012 का अवलोकन करें।

विभिन्न विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणालियां (एमआईसीआर/गैर-एमआईसीआर/सीटीएस केंद्र/ईसीएस/ आरईसीएस इत्यादि)

संचालित करने वाले समाशोधन गृहों का सदस्य बनाने की प्रक्रिया को सरल/तर्कसंगत बनाने के लिए, ऐसी संस्थाओं को अब स्वतः सदस्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जो आरटीजीएस, एनईएफटी और एनईसीएस जैसी केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में प्रत्यक्ष भागीदार हैं।

तदनुसार, उपर्युक्त परिपत्र में एक नया पैरा 4.10.1 इस प्रकार जोड़ा गया है :

"4.10.1 अनुसूचित वाणिज्यक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बहु-राज्य सहकारी बैंक जिन्हें पहले से ही केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों (आरटीजीएस, एनईएफटी और एनईसीएस) के भागीदारों के रूप में शामिल किया गया है, सभी समाशोधन गृहों में विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों (सीटीएस, ईसीएस/आरईसीएस इत्यादि सहित) की स्वतः सदस्यता के लिए पात्र होंगे।"

केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों के भागीदारों की अद्यतन सूची बैंक की वेबसाइट के लिंक (http://www.rbi.org.in/Scripts/Bs-viewRTGs.aspx) और http://www.rbi.org.in/Scripts/neft.aspx पर उपलब्ध कराई गई है।

संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हैं।

कृपया प्राप्ति सूचना दें।

___________

भारिबैं / 2011-12 /451 ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बीसी. 66 / 04.09.54 / 2011-12, 16 मार्च 2012

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

## ब्याज दरें - आरआइडीएफ एवं अन्य निधियां

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13 फरवरी 2012 की अधिसूचना द्वारा बैंक दर को संशोधित कर 6 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत कर देने के फलस्वरूप आरआईडीएफ तथा सिडबी और एनएचबी के पास रखी ऐसी निधियों पर लागू ब्याज दरों की समीक्षा की गई तथा निम्नानुसार यह निर्णय लिया गया कि :

(क) निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र दायित्वों में पाई जानेवाली कमी के कारण नाबार्ड/सिड़बी/ एनएचबी के पास रखी जमाराशियों पर तथा नाबार्ड द्वारा आरआईडीएफ से संवितरित ऋणों पर 31 मार्च 2012 तक बैंकों को देय ब्याज दरें अपरिवर्तित रखते हुए निम्नानुसार संशोधन पूर्व बैंक दर से सहलग्न रखी जाएं :

| **जमाराशि की दरें** | | |
|---|---|---|
| **क्रम सं.** | **देशी वाणिज्य बैंकों हेतु कृषि उधार लक्ष्यों में कमी तथा समग्र प्राथमिकता क्षेत्र उधार लक्ष्य में अधिक कमी या एमएसई और विदेशी बैंकों हेतु निर्यात के उप-लक्ष्यों में समग्र कमी** | **संशोधित बैंक दर से पूर्व विद्यमान दर** |
| 1. | 2 प्रतिशत पाइंट से कम | संशोधन पूर्व बैंक दर (6.0 प्रतिशत) |
| 2. | 2 और उससे अधिक लेकिन 5 प्रतिशत पाइंट से कम | संशोधन पूर्व बैंक दर से1 प्रतिशत पाइंट घटाकर (5.0 प्रतिशत) |
| 3. | 5 और उससे अधिक लेकिन 9 प्रतिशत पाइंट से कम | संशोधन पूर्व बैंक दर से 2 प्रतिशत पाइंट घटाकर (4.0 प्रतिशत) |
| 4. | 9 प्रतिशत पाइंट और उससे अधिक | संशोधन पूर्व बैंक दर से 3 प्रतिशत पाइंट घटाकर (3.0 प्रतिशत) |
| **उधार दरें** | | |
| 5. | 31 मार्च 2012 तक आरआईडीएफ से संवितरित ऋण | संशोधन पूर्व बैंक दर में 0.5 प्रतिशत पाइंट जोड़कर (6.5 प्रतिशत) |

(ख) नाबार्ड / सिड़बी / एनएचबी के पास रखी जमाराशियों पर तथा 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद आरआईडीएफ से नाबार्ड द्वारा संवितरित ऋणों पर देय ब्याज दरों को संशोधित किया जाए तथा उन्हें निम्नानुसार बैंक दर से संलग्न रखा जाएः

| **जमाराशि की दरें** | | |
|---|---|---|
| **क्रम सं.** | **देशी वाणिज्य बैंकों हेतु कृषि उधार लक्ष्यों में कमी तथा समग्र प्राथमिकता क्षेत्र उधार लक्ष्य में अधिक कमी या एमएसई और विदेशी बैंकों हेतु निर्यात के उप-लक्ष्यों में समग्र कमी** | **संशोधित दरें** |
| 1. | 2 प्रतिशत पाइंट से कम | बैंक दर (वर्तमान 9.5%) से 2 प्रतिशत पाइंट घटाकर |

| जमाराशि की दरें | | |
|---|---|---|
| **क्रम सं.** | **देशी वाणिज्य बैंकों हेतु कृषि उधार लक्ष्यों में कमी तथा समग्र प्राथमिकता क्षेत्र उधार लक्ष्य में अधिक कमी या एमएसई और विदेशी बैंकों हेतु निर्यात के उप-लक्ष्यों में समग्र कमी** | **संशोधित दरें** |
| 2. | 2 और उससे अधिक लेकिन 5 प्रतिशत पाइंट से कम | बैंक दर (वर्तमान 9.5%) से 3 प्रतिशत पाइंट घटाकर |
| 3. | 5 और उससे अधिक लेकिन 9 प्रतिशत पाइंट से कम | बैंक दर (वर्तमान 9.5%) से 4 प्रतिशत पाइंट घटाकर |
| 4. | 9 प्रतिशत पाइंट और उससे अधिक | बैंक दर (वर्तमान 9.5%) से 5 प्रतिशत पाइंट घटाकर |
| **उधार दरें** | | |
| 5. | 01 अप्रैल 2012 को या पश्चात आरआइडीएफ से संवितरित ऋण | बैंक दर (वर्तमान 9.5%) से 1.5 प्रतिशत पाइंट घटाकर |

2. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

———————

भारिबैंक/2011-12/452 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 93, 19 मार्च 2012

सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

## सेबी पंजीकृत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों द्वारा भारतीय उद्यम पूंजी उपक्रमों और/अथवा देशी उद्यम पूंजी निधियों में निवेश

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकों का ध्यान समय - समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबीआई द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 6 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार सेबी पंजीकृत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक किसी भारतीय उद्यम पूंजी उपक्रम अथवा उद्यम पूंजी निधियों की ईक्विटी, ईक्विटी संबद्ध लिखतों, कर्ज, कर्ज लिखतों, डिबेंचरों में उनके प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा निजी तौर पर शेयर आबंटन के जरिये अथवा उद्यम पूंजी निधि द्वारा स्थापित/संचालित योजनाओं/निधियों की ईकाईयों में उसमें उल्लिखित शर्तों के तहत निवेश कर सकते हैं।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों को समय - समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं फेमा. 20/2000-आरबी की अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत निजी व्यवस्था के रूप में/किसी तीसरी पार्टी से खरीद द्वारा भी पात्र प्रतिभूतियों (किसी भारतीय उद्यम पूंजी उपक्रम अथवा उद्यम पूंजी निधियों की ईक्विटी, ईक्विटी संबद्ध लिखतों, कर्ज, कर्ज लिखतों, डिबेंचरों अथवा उद्यम पूंजी निधि द्वारा स्थापित/संचालित योजनाओं/निधियों की ईकाईयों) में निवेश करने के लिए अनुमति दी जाए । यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि सेबी पंजीकृत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों को, समय - समय पर यथा संशोधित, सेबी एफबीसीआई विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा उनमें विनिर्दिष्ट शर्तों पर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज पर प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए भी अनुमति दी जा सकती है ।

3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों और घटकों को अवगत करायें ।

4. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं फेमा. 20/2000-आरबी) में आवश्यक संशोधन अलग से अधिसूचित किये जा रहे हैं ।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं ।

———————

आरबीआई/2011-2012/456 बैंपविवि. सं.आरईटी. बीसी. 88 /12.06.134/2011-12, 19 मार्च 2012

## सभी अनूसूचित वाणिज्य बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - नैशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक

हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नैशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक" का नाम 4 फरवरी 2012 के भारत के राजपत्र (भाग III खंड 4) में प्रकाशित 9 जनवरी 2012 की अधिसूचना बैंपविवि. आईबीडी.सं.10193/ 23.13.085/2011-12 के द्वारा शामिल किया गया है।

———————

आरबीआई/2011-2012/455 बैंपविवि. सं.आरईटी. बीसी. 87/12.06.133/2011-12, 19 मार्च 2012

## सभी अनूसूचित वाणिज्य बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - वूरी बैंक

हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "वूरी बैंक" का नाम दिनांक 04 फरवरी 2012 के भारत के राजपत्र (भाग III खंड 4) में प्रकाशित 09 जनवरी 2012 की अधिसूचना बैंपविवि. आईबीडी.सं.10184/ 23.13.139/2011-12 के द्वारा शामिल किया गया है ।

---

भारिबैं 2011-12/463 गैबैंपवि.कंपरि.सं: 263/03.10.038/ 2011-12, 20 मार्च 2012

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
(अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोडकर)

## गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई)- प्रावधानीकरण मापदण्ड- समय सीमा का विस्तार

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) नामक नयी श्रेणी की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की शुरुआत 2 दिसम्बर 2011 को की गई थी देखें; गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं:250/ 03.10.01/2011-12 जिसमें 1 अप्रैल 2012 से लघु वित्त संस्थानों द्वारा अनुपालनार्थ परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण मापदण्ड संबंधी दिशानिर्देशों को भी शामिल किया गया था। इस संबंध में लघु वित्त संस्थानों (एमएफआई) के समक्ष आने वाली कठिनाईयों तथा उनसे बैंक को प्राप्त अभ्यावेदन को देखते हुए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण मापदण्ड का कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2013 तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

2. तथापि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) से यह अपेक्षित है कि 2 दिसम्बर 2011 के परिपत्र में निर्धारित अन्य विनियमों का अनुपालन करें।

---

भारिबैं/2011-12/467/गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.265/03.10.01/ 2011-12, 21 मार्च 2012

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

## एकल उत्पाद के जमानत पर ऋण प्रदान करना- स्वर्ण आभूषण

यह देखा गया है कि हाल के वर्षों में मुख्य रूप से स्वर्ण आभूषण की संपार्श्विक जमानत के बदले कर्ज ऋण देने के कार्य में संलिप्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का उनके तुलन-पत्र के आकार तथा भौतिक उपस्थिति दोनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। इसके परिणामस्वरूप, सार्वजनिक निधियों के साथ-साथ बैंक वित्त तथा खुदरा निवेशकों द्वारा जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचर के प्रति इनकी निर्भरता बढ़ गई है।

2. उनके कारोबार वृद्धि की गति तथा उनके कारोबार मॉडल की प्रकृति को देखते हुए ,जिसमें सघन जोखिम निहित है तथा स्वर्ण मूल्य के प्रति अंतर्निहित जोखिम है, विवेकपूर्ण मापदण्ड के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को

i. इसके बाद स्वर्ण आभूषण की संपार्श्विक जमानत के बदले स्वीकृत कर्ज के लिए कर्ज का अनुपात विक्रय मूल्य (एलटीवी) 60 प्रतिशत से अधिक नहीं रखना होगा तथा

ii. अपने तुलन-पत्र की कुल परिसंपत्ति में ऐसे कर्जों के प्रतिशत का उल्लेख करना होगा।

3. मुख्य रूप से स्वर्ण आभूषण के जमानत के बदले कर्ज़ देने के कारोबार में संलिप्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (ऐसे कर्ज़ उनकी कुल परिसंपत्ति का 50% या अधिक है) को 01 अप्रैल 2014 तक टीयर 1 पूंजी का न्यूनतम 12 प्रतिशत बनाये रखना होगा।

4. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बुलियन/अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड) तथा सोने के सिक्कों के बदले कोई कर्ज़ मंजूर नहीं करेंगी।

---

आरबीआई/2011-12/475 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 68/02.01.001/2011-12, 29 मार्च 2012

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सभी एसएलबीसी संयोजक बैंक

## एसएलबीसी की वेबसाइट - सूचना / डाटा का मानकीकरण

जैसाकि आप जानते हैं, सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों को 26 फरवरी 2010 के परिपत्र आरपीसीडी.सीओ.एलबीएस.

एचएलसी.बीसी.सं.56/02.19.10/2009-10 द्वारा सूचित किया गया था कि वे एसएलबीसी की वेबसाइट बनाए रखें जहां पर अग्रणी बैंक योजना और सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से संबंधित सभी अनुदेश उपलब्ध कराएं और बैठकें आयोजित करने अथवा राज्य-वार डाटा / बैंक वार कार्यनिष्पादन से संबंधित जानकारी पाने के इच्छुक आम नागरिकों की पहुंच में हों।

2. विभिन्न राज्यों की एसएलबीसी वेबसाइटें देखने पर यह महसूस किया गया कि एसएलबीसी वेबसाइटों का कम से कम न्यूनतम संगत जानकारी तथा डाटा की उपलब्धता का मानकीकरण किया जाना चाहिए। एसएलबीसी संयोजक बैंकों से प्राप्त फीडबैंक के आधार पर एसएलबीसी वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जानेवाली जानकारी एवं डाटा संबंधी संकेतात्मक सूची अनुबंध में दी गई है। बैंक कृपया नोट करें कि यह मात्र संकेतात्मक सूची है और राज्य से संबंधित किसी अन्य जानकारी को इस पर डालने के लिए एसएलबीसी स्वतंत्र हैं।

3. आपसे अनुरोध है कि आप अपने बैंक की एसएलबीसी वेबसाइट पर निर्धारित न्यूनतम जानकारी डालने की व्यवस्था करें तथा इसे कम से कम तिमाही आधार पर अद्यतन बनाते जाएं।

___________